

एमबीए, बीटेक व बीएड : जैसे प्रोफेशनल कोर्स की अधिकतम फीस तय, स्कूल फीस की सीमा नहीं

एमबीए व बीटेक की सालाना फीस अधिकतम 55 से 70 हजार, स्कूल फीस एक-सवा लाख रुपए तक



आर्डर...आर्डर
बंद हो विद्या
का व्यापार

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. इंजीनियरिंग, बीएड व एमबीए जैसे प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की अधिकतम सालाना फीस 55 से

70 हजार रुपए तय है, वहीं कई स्कूलों में एक से सवा लाख रुपए तक सालाना फीस ली जा रही है। वजह यह है कि प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की अधिकतम फीस तय होती है, लेकिन स्कूलों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

निजी स्कूलों को लेकर कानून तो 1989 में बन गया और चार साल बाद वह लागू भी हो गया, लेकिन राज्य सरकार ने इस कानून की धारा 43 के तहत स्कूल फीस पर नियंत्रण के लिए नियम ही नहीं बनाए। फीस को लेकर कोर्ट के आदेशों और अभिभावकों के प्रदर्शनों का भी राज्य सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। फीस को लेकर अभिभावक पीड़ा भी जाहिर करते हैं, लेकिन स्कूलों का विकल्प नहीं होने के कारण खुलकर सामने नहीं आ पाते।

फीस एक्ट...

न कार्रवाई और न दिशा निर्देश, हर साल 30 प्रतिशत तक बढ़ रही फीस



बीएड की 27 हजार : बीएड में प्रवेश के लिए फीस काउंसलिंग के समय जमा होती है, वह निजी कॉलेजों को सीधे मिलती भी नहीं है। यह 27 हजार रुपए तय है। निजी कॉलेज अतिरिक्त फीस ले तो कार्रवाई की जाती है।

निजी स्कूलों को ही सौंप रखा है अधिकार

प्रोफेशनल कोर्स : राज्य सरकार ने प्रोफेशनल कोर्स के लिए फीस निर्धारण कमेटी बना रखी है, जो सालाना फीस तय करती है। इंजीनियरिंग की 70 हजार, एमबीए की 55 हजार, बीएड की 27 हजार, पीएचडी की 22 हजार रुपए अधिकतम तय है। यह प्रतिवर्ष है, सभी कोर्स में विषय वार भी फीस निर्धारित है।

प्रोफेशनल कोर्स की फीस तय है तो निजी स्कूलों की क्यों नहीं? सरकार ने 15-20 साल से मामला अटका रखा है। लगता है, निजी स्कूलों पर नकेल कसने की सरकार की मंशा ही नहीं है।

सुशील शर्मा, राजस्थान अभिभावक संघ

निजी स्कूल : सालाना फीस एक से सवा लाख रुपए आइसीएसई, आइबी और सीबीईसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त कई बड़े निजी स्कूलों की सालाना फीस एक से सवा लाख रुपए तक है। 50 हजार रुपए से अधिक फीस तो अनेक स्कूलों की है। सरकार ने फीस निर्धारित करने का अधिकार स्कूलों को ही दे रखा है।

गुजरात में सरकार ने निजी स्कूलों की फीस के 3 स्लैब बना रखे हैं। कहीं भी फीस 70 हजार से अधिक नहीं हो सकती। राजस्थान में भी ऐसे स्लैब बनाकर निजी स्कूलों की फीस निर्धारित की जानी चाहिए।

राजेंद्र सोनी, एडवोकेट